

79/2014

अमर सिंह / विजयसिंह वर्मा

दिनांक	आज्ञा पत्र	टिप्पणी
9.11.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 3.9.24 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 8.12.24 को पेश हो।	
8/12/24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच ने आक न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 9.5.24 को पेश हो।	
9.5.24	पत्रावली पेश 1 पत्रावली 9/12/24 पूर्व - - का ऐरावत दिनांक 27.5.24 को पेश हो।	
27/5/24	<p>पत्रावली पेश। अपीलाट/रेसपोडेंट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलाट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>अमर सिंह</p> <p>अभिवक्ता एवं पदेन राजस्व अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (केम्बल)</p>	